कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

प्रति,

समस्त प्राचार्य/ डीडीओ,
शासकीय महाविद्यालय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय,
मध्य प्रदेश

विषय: शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के वेतन का भुगतान, सार्थक उपस्थिति के आधार पर करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

1. दिनांक 12-03-2025 को माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन।
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 171/17/आउशि/शा.3/25, भोपाल दिनांक 14-02-2025।
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1/213789/2025, भोपाल दिनांक 20-02-2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनके द्वारा शासन निर्णयानुसार सार्थक पर उपस्थिति दर्ज करने हेतु समय- समय पर इस कार्यालय द्वारा दिशानिर्देश प्रेषित किये गए हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार मार्च माह के वेतन का भुगतान भी सार्थक में दर्ज की गयी उपस्थिति के आधार पर किया जाना था। सार्थक एनालिटिकल डैशबोर्ड के द्वारा समस्त शैक्षणिक संवर्ग (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि संकाय, जनभागीदारी आदि) एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की दैनिक एवं मासिक उपस्थिति की रिपोर्ट्स महाविद्यलय के प्राचार्य को उपलब्ध कराई जा रही है।

उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में निम्नानुसार बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करें:

1. समस्त प्राचार्य/डीडीओ को निर्देशित किया जाता है के प्रत्येक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग का वेतन पत्रक प्रत्येक माह की 30 तारीख को निम्न बिंदुओं के आधार पर बनाया जाएगा:
   - **i.** महाविद्यालयीन शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक संवर्ग की सार्थक पर दर्ज की गयी उपस्थिति तथा
   - **ii.** प्रत्येक दिवस कार्यशील कम से कम 6 घंटे
2. समस्त शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक संवर्ग की अनुपस्थिति को प्राचार्य उनके अवकाश की पात्रता के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, जिसे **eHRMS** के **Leave Management System** में भविष्य में दर्शाया जा सकेगा।
3. **eHRMS** पर **Leave Management System** का **module** विकसित किया जा रहा है, क्रियान्वन के उपरांत **Leave Management System** पर क्रमांक 2 अनुसार अवकाश

को दर्ज करना अनिवार्य होगा एवं वेतन पत्रक तैयार करते समय इसका ध्यान रखा जाएगा।

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि **April paid in May** का समस्त शैक्षणिक संवर्ग (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि संकाय, जनभागीदारी आदि) एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग का वेतन पत्रक उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर ही तैयार किया जाए। पालन न होने की स्थिति में **संपूर्ण जवाबदारी सम्बंधित प्राचार्य/ डीडीओ की रहेगी।**
कृपया निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

Digitally signed by
Jitendra Singh
Date: 30-04-2025
12:10:00

(जितेन्द्र सिंह)
संचालक वित्त, उच्च शिक्षा,
मध्य प्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की ओर अनुश्रवण एवं पालनार्थ

संचालक वित्त, उच्च शिक्षा,
मध्य प्रदेश